न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2026/12

सिविल प्रकरण संख्याः– 01/2026 तारीख रजू 16.01.2026

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. पवन कुमार मुलानी पुत्र रामचन्द सिंधी (विक्रेता) मैसर्स गुलशन ट्रेडर्स, सतीश जी के पेट्रोल पम्प के सामने शहर, सवाई माधोपुर। निवासी 2/136 हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर।
2. रामचन्द्र सिंधी पुत्र मंगल मल सिंधी (फर्म मालिक) मैसर्स गुलशन ट्रेडर्स, सतीश जी के पेट्रोल पम्प के सामने शहर, सवाई माधोपुर। निवासी खण्डार रोड नीम चौकी शहर स0मा0।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/ 51एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 21.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अन्तर्गत दिनांक 11.09.2025 को 01.00 पी.एम. पर मैसर्सः– गुलशन ट्रेडर्स, सतीश जी के पेट्रोल पम्प के सामने, शहर, सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र एवं विक्रेता पवन कुमार मुलानी का आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Mustard Oil** विक्रय हेतु रखे हुए थे। **Mustard Oil** में मिलावट का अन्देशा होने पर नमूना वास्ते **Mustard Oil** **1600** एम.एल. खरीदकर उसकी कीमत 260/– रूपये विक्रेता पवन कुमार मुलानी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान नितेश गौत्तम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर [illegible] हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

पवन कुमार मुलानी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता पवन कुमार मुलानी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **1600** एम.एल. **Mustard Oil** को प्लास्टिक की साफ–सुथरी 04 प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर अच्छी तरह बन्द किया और 04 नमूना भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3797** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकत्सि एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप कमांक **H-3797** नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें । चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2025/1217 दिनांक 07/10/2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/3481/एक्ट/2025/3482 दिनांक 18/09/2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil, Substandard & Extraneous Suspend Matter** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/1995 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त द्वारा **Substandard & Extraneous Suspend Matter, Mustard Oil** का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष तंवर उपस्थित आए तथा प्रकरण में जवाब पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा **Substandard & Extraneous Suspend Matter, Mustard Oil** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अभियुक्त की दुकान से आवेदक ने दिनांक 11.09.2025 को नमूना लिया गया था जो बाद जांच **Substandard & Extraneous Suspend Matter** पाया गया है। अभियुक्तगण बाल बच्चेदार व्यक्ति है जो तेल मिल से तेल निकालकर उसे बेचकर अपना एवं अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अभियुक्तगण किसानों व अनाज मण्डी से सरसों खरीदकर उस सरसों का तेल निकालकर उसे बेचने का काम करते हैं। कई मर्तबा सरसो हल्के काले रंग में होने के कारण उसका तेल हल्का काले भूरे रंग का तेल निकलना संभव है। अभियुक्तगण द्वारा सरसों के तेल में किसी भी बाहरी सस्पेडेंड पदार्थ की मिलावट नहीं की है। जिस प्रकार की सरसों का तेल मशीन से निकला था उसे ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सेम्पल हेतु दिया था। अन्त में वकील अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/3481/एक्ट/2025/3482 दिनांक 18/09/2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil** जांच रिपोर्ट में **Substandard & Extraneous Suspend Matter** होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जांच रिपोर्ट में **Extraneous Suspend Matter** की जांच Visual Examination (by Naked Eye) करने पर नमूना उत्पाद में काले भूरे रंग का सस्पेंड पदार्थ उपस्थित पाया गया है जोकि अनुपस्थित होना चाहिए था। अभियुक्त ने उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच नहीं कराई है जिससे अभियुक्त का उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट पाये जाना प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Mustard Oil** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.**04.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested